



राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan

Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>
e-mail: jdadmn.cce@gmail.com

Ph. NO. 0141-2702247 (O)

क्रमांक:—एफ—1(07)पीएस/आकाशि/2021/ 975

दिनांक:— २५-०७-२०२२

आदेश

प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर के द्वारा निम्नलिखित अभ्यर्थियों को राजस्थान क्रीड़ा पदक विजेताओं को बिना पारी नियुक्ति नियम, 2017 (संशोधित नियम, 2020) के तहत इस विभाग को आवंटित किये जाने पर राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के तहत कनिष्ठ सहायक के पद पर अस्थाई आधार पर कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20 जनवरी 2006 एवं वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प015(1)वित्त /नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार दो वर्ष की अवधि के लिये परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (**Probationer-Tranee**) के रूप में नियत पारिश्रमिक 14,600/- प्रतिमाह एवं तत्पश्चात् पे—मेट्रिक्स लेवल संख्या— 05 पर निम्नलिखित शर्तों पर एतद् द्वारा नियुक्त किया जाता है :—

नॉन टीएसपी क्षेत्र

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम एवं पता	जन्मतिथि	वर्ग	अभ्यर्थी की फोटो	आवंटित जिला	आवंटित महाविद्यालय/कार्यालय का नाम
1	3	4	5	6	7	8
1	निहाल सिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह, वार्ड नं.-4, जोगीवाड़ा, बाईपास रोड़ अनाज मण्डी के पास, खैरथल, अलवर (राज.) पिन- 301404	22-04-1999	OBC		अलवर	राजकीय महाविद्यालय, खैरथल (अलवर)
2	शाईन अब्राहम पुत्र श्री अब्राहम वर्गीस, एस-1, प्लॉट नम्बर 234, टैगोर नगर, वैशाली नगर, अजमेर, जयपुर पिन-302021	28-11-1987	Gen		जयपुर	आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर

उक्त नियुक्तियां निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती हैं :—

1. उक्त संबंधित अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे नियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस के अन्दर ऊपर वर्णित तालिका में अपने नाम के सामने अंकित कार्यालय/महाविद्यालय में पद कार्यभार ग्रहण कर लें। अपरिहार्य एवं अन्य परिस्थिति के कारण 15 दिवस में उक्त अभ्यर्थी पद का कार्यभार सम्भालने में असमर्थ हों, तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुये अधोहस्ताक्षरकर्ता को लिखित में सूचित कर दें। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं सम्भालने अथवा कोई सूचना प्राप्त नहीं होने की रिथ्ति में नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा तथा अधोहस्ताक्षरकर्ता की अनुमति के बिना कार्यग्रहण नहीं करने दिया जायेगा।
2. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत हैं, उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते दये होंगे, परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (through proper channel) से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
3. परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ—1(2)एफडी/रूल्स/06 दिनांक 13.03.2006, एफ—12(6)एफडी/रूल्स/2005 दिनांक 13.03.2006, एफडी 13(1)एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 13.03.2006, एफ—6(6) एफडी/रूल्स/2005 दिनांक 13.03.2006, एफ—16(2)एफडी/रूल्स/98 दिनांक 13.03.2006 एवं एफ—14(1) एफडी/रूल्स/2009 दिनांक 12.10.2009 एवं राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 2017 दिनांक 09.12.2017 के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (fix remuneration) के हकदार होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, महगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे। यह पारिश्रमिक माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में हुये निर्णय के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में की गई एसएलपी 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।
4. राज्य सरकार के कर्मचारियों को देय पेंशन एवं अन्य सेवा लाभ के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी आदेश/दिशा—निर्देश लागू होंगे।
5. उक्त नियुक्तियां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र एफ—11/एसटी एससी ओबीसी एसबीसी/ जा0प्र0प0/सामान्य अवि/2015/54159 दिनांक 09.09.2015, पत्रांक 63606-726 दिनांक 20.10.2015 एवं प011(204)आरएण्डपी/डीडीबीसी/सान्याअवि/2011/68999-69032 दिनांक 11.11.2016 में वर्णित दिशा—निर्देशों/सत्यापन के अध्यधीन पूर्णतया अस्थाई रूप से रहेगी।

6. इस विभाग को पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में कोई भी विपरीत तथ्य (Adverse reports) पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुये उनका चयन निरस्त किये जाने का अधिकार होगा।
7. चयनित अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करने से पूर्व 50/- रुपये सम्मूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गयी समस्त सूचनाएं एवं संलग्न किये गये दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र सत्य हैं। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज/सूचना कूटरचित एवं अप्रमाणिक पाये जाने पर नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा इनकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेंगी एवं प्रार्थी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
8. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।
9. परिवीक्षा काल (Probation Period) में इन्हें कोई वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं होगी।
10. चयनित अभ्यर्थी का आचरण परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में असंतोषजनक पाये जाने पर इनको बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से विमुक्त किया जा सकेगा।
11. दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरांत ही इनका वेतन निर्धारण कनिष्ठ सहायक के पद पर पे मेट्रिक्स लेवल संख्या 05 में नियमानुसार किया जाकर वेतन एवं उस पर अन्य भत्ते देय होंगे।
12. परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।
13. सभी अध्यर्थियों की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गयी है। अंकित की गई जन्मतिथि अपरिवर्तनीय होगी।
14. चयनित अभ्यर्थियों के अपने से वरिष्ठ/कनिष्ठ के पूर्व में एवं बाद में कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में इनकी वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनका चयन वर्ष 2021–22 की रिक्तियों के विरुद्ध किया गया है। इनकी वरिष्ठता राजस्थान कीडा पदक विजेताओं को बिना पारी नियुक्ति नियम, 2017 (संशोधित नियम, 2020) के नियम 3(10) के अनुसार निर्धारित की गई है। अतः विभागीय स्तर पर इनकी वरिष्ठता का निर्धारण का क्रम नियमानुसार (क्रमशः पदोन्नति/सीधी भर्ती/कीडा पदक विजेता खिलाड़ी नियुक्ति) निर्धारित किया गया है।
15. इन चयनित खिलाड़ियों को खेल संबंधी कार्यकलापों को जारी रखने हेतु उपर्युक्त वर्णित नियमों के नियम 3(4) के अनुसार अनुकूल बातावरण उपलब्ध कराया जायेगा। इन चयनित खिलाड़ियों का कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन इनके खेलों में प्राप्त उपलब्धियों के आधार पर किया जायेगा।
16. अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
17. यह नियुक्ति अधीक्षक, चिकित्सालय अनुलग्न मेडिकल, कॉलेज/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ-15(1)डीओपी/ए-11/74, दिनांक 01.01.1975 द्वारा प्रसारित निर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही मान्य होगी।



आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर।

क्रमांक:-एफ-1(07)पीएस/आकाश/2021/ ९७५

दिनांक:- 25-07-2022

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
- 2- शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प.1(2) प्र.सु./अनु.-3/2020 दिनांक 13-06-2022 के संदर्भ में।
- 3- निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- 4- निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- 5- संयुक्त निदेशक, एच0आर0डी0, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- 6- सम्बन्धित प्राचार्य –कृपया सम्बन्धित अभ्यर्थी को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर तथा उनके द्वारा जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, जाति, विवाह एवं सून्तान आदि के मूल कागजात पेश पर नियुक्ति सम्बन्धी मूल आवेदन पत्र के साथ लगे कागजातों की प्रतियों का मिलान करके ही कार्यभार ग्रहण करने दिया जावे। इनका मूल आवेदन पत्र मय संलग्नकों की प्रति के संलग्न किया जा रहा है (संलग्न – एक सेट)।
- 7- सम्बन्धित अभ्यर्थी कृपया कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अधीक्षक, चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्राचार्य महोदय को प्रस्तुत करें तथा नियुक्ति सम्बन्धी मूल आवेदन पत्र के साथ लगाये गये जन्मतिथि, योग्यता, जाति आदि के कागजातों की प्रतियों का मिलान करने हेतु मूल कागजात साथ लेकर जावे।
- 8- वेब साइट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
- 9- रक्षित पत्रावली।


25.7.2022
(डॉ० के०एल० सिराधना)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर।